चेक संग्रह नीति

दायरा: DBS बैंक इंडिया की शाखाएँ

जारीकर्ता: GTS (वैश्विक लेन-देन सेवाएँ) और T&O (प्रौद्योगिकी और संचालन)

संस्करण: 3.0

सर्वाधिकार सुरक्षित

इस दस्तावेज़ के किसी भी भाग का, किसी अधिकृत अनुमति के बिना, किसी भी रूप में DBS ग्रुप के बाहर पुनरुत्पादन नहीं किया जा सकता है।

1 परिचय और मार्गदर्शक सिद्धांत

बैंक की चेक संग्रह नीति, हमारे ग्राहकों को बेहतरीन सेवा प्रदान करने और प्रदर्शन के उच्च मानक स्थापित करने के हमारे निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। यह पॉलिसी, ग्राहकों के साथ व्यवहार में पारदर्शिता और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है। हम अपने ग्राहकों को त्वरित कलेक्शन सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह पॉलिसी दस्तावेज निम्नलिखित पहलुओं को कवर करता है:

- भारत और विदेश स्थित केंद्रों पर देय चेकों तथा अन्य लिखतों का कलेक्शन
- लिखतो के कलेक्शन हेतु समय-मानकों के संबंध में हमारी प्रतिबद्धता
- उन मामलों में ब्याज का भुगतान, जिनमें चेकों से प्राप्त राशि की वसूली में निर्धारित समय-सीमा से अधिक विलंब होता है।
- परिवहन के दौरान खो जाने वाले कलेक्शन लिखतों से निपटना

यह नीति DBIL की सभी शाखाओं पर लागू है। चेक संग्रह नीति (CCP) की एक प्रति, ग्राहक को उसके द्वारा अनुरोध करने पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा, CCP बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा और शाखा के नोटिस बोर्ड की फ़ाइलों में उपलब्ध कराया जाएगा।

2 पॉलिसी

कलेक्शन की व्यवस्था

कृपया ध्यान दें कि 'अकाउंट पेई चेक' केवल खाताधारक के खाते में ही जमा किए जाएँगे, और किसी भी तीसरे पक्ष के खाते में जमा नहीं किए जाएँगे।

चेक कलेक्शन

सभी CTS के अनुरूप चेक और अन्य परक्राम्य लिखत, जिनका भुगतान राष्ट्रीय ग्रिड प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर किया जाना है, उन्हें संबंधित केंद्र पर प्रचलित समाशोधन प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। हमारी शाखा के कार्य दिवसों पर, शाखा के काउंटरों पर दोपहर 1:30 बजे तक और शाखा परिसर के भीतर रखे 'चेक कलेक्शन बॉक्स' में दोपहर 1:30 बजे तक जमा किए गए चेक, उसी दिन क्लियरिंग के लिए प्रस्तुत कर दिए जाएँगे; जबकि कट-ऑफ समय के बाद जमा किए गए चेक/लिखत अगले कार्य दिवस के क्लियरिंग चक्र में प्रस्तुत किए जाएँगे। नीति के तौर पर, बैंक फंड प्राप्त होने के दिन ही ग्राहक के खाते में जमा कर देगा।

यदि चेक/लिखत में कोई विसंगति पाई जाती है, तो ऊपर दी गई समय-सीमा लागू नहीं होगी। चेक/लिखत स्वीकार करने के संबंध में ब्रांच की कट-ऑफ टाइमिंग और सेंटर्स की सूची DBS बैंक की शाखाओं से प्राप्त की जा सकती है।

हमारे बैंक की ही शाखाओं पर आहरित होने के लिए जारी किए गए चेक, ड्राफ़्ट, पे ऑर्डर और बैंकर चेक (ट्रांसफ़र चेक) के कलेक्शन का समय – ऐसे सभी चेक बैंक के काउंटरों पर जमा किए जाने पर, उसी दिन क्रेडिट कर दिए जाएंगे।

क्लियरिंग की समय-सीमा, RBI की क्लियरिंग समय-सीमा में किसी भी बदलाव के अनुसार, समायोजित की जा सकती है। आगे होने वाले कोई भी बदलाव या विशेष कट-ऑफ समय, आपकी सुविधा के लिए हमारी ब्रांच के नोटिस बोर्ड पर और चेक ड्रॉप-बॉक्स वाली जगहों पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए जाएँगे। हम ग्राहकों को नवीनतम जानकारी के लिए इन सूचनाओं को नियमित रूप से देखते रहने की सलाह देते हैं।

अकाउंट पेयी चेक का कलेक्शन – प्राप्त राशि किसी तीसरे पक्ष के खाते में जमा करने पर प्रतिबंध:

भुगतान प्राप्तकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से जारी 'अकाउंट पेई' चेक कलेक्ट नहीं किए जाएंगे। बैंक के पास यह विकल्प है कि वह वे 'अकाउंट पेई' चेक, जिनकी राशि पचास हज़ार रुपये से अधिक न हो, अपने उन ग्राहकों के खाते में जमा कर सकता है, जो सहकारी ऋण समितियाँ हैं; बशर्ते इन चेकों के प्राप्तकर्ता (Payees) उन संबंधित सहकारी ऋण समितियों के सदस्य हों।

कर्ता के नाम से जारी चेक

'अकाउंट पेई' चेक भुगतान प्राप्तकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से कलेक्ट नहीं किए जाएंगे; तथा बैंक को 'कर्ता' के नाम पर जारी किए गए लिखत HUF के खाते में जमा करने की मनाही नहीं है।

इसके लिए, बैंक HUF के नाम पर खाता खोलते समय खाताधारक से एक मैंडेट (आदेश) लेगा, कि कर्ता के पक्ष में जारी किए गए चेक भी खाते में जमा किए जा सकते हैं, और इसका उल्टा भी संभव है।

तकनीकी कारणों से वापस आए चेकों को पुनः प्रस्तुत करने में देरी तथा इस वापसी पर शुल्क:

जैसा कि आप जानते हैं, बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे चेकों के भुगतान में लगने वाला समय, और चेक वापस होने पर लगाए जाने वाले शुल्कों के बारे में अपनी 'चेक संग्रह नीति ' (CCP) में स्पष्ट रूप से दर्शाएँगे तथा ग्राहकों को उचित पूर्व सूचना देते हुए, उन्हें पहले से ही स्पष्ट कर देंगे।

चेक वापसी शुल्क केवल उन्हीं मामलों में लगाया जाएगा, जहाँ ग्राहक की गलती हो और वह इस वापसी के लिए ज़िम्मेदार हो।

वापसियों की एक सूची, जिनमें ग्राहकों की कोई गलती नहीं है, नीचे दिए गए अनुबंध में, उदाहरण के तौर पर दी गई है, लेकिन यह सूची पूरी नहीं है।

जिन चेकों को प्राप्तकर्ता (payee) के किसी हस्तक्षेप के बिना दोबारा पेश करने की ज़रूरत होती है, उन्हें तत्काल अगली क्लियरिंग में, 24 घंटे के भीतर (छुट्टियों को छोड़कर) दोबारा पेश किया जाएगा; साथ ही, ग्राहकों को SMS अलर्ट, ईमेल आदि के माध्यम से इस दोबारा प्रस्तुति की उचित सूचना भी दी जाएगी।

अनुलग्नक I

कोड नं.	वापसी का कारण
33	लिखत विकृत; बैंक गारंटी की आवश्यकता है
35	क्लियरिंग हाउस की मुहर / तारीख आवश्यक है।
36	गलती से सुपुर्द / हमारे पास आहरित नहीं
37	सही ज़ोन में प्रस्तुत करें
38	लिखत में अनावश्यक सामग्री है।
39	तस्वीर साफ़ नहीं है; कागज़ के साथ दोबारा प्रस्तुत करें।
40	दस्तावेज़ के साथ प्रस्तुत करें
41	आइटम दो बार सूचीबद्ध है
42	कागज़ प्राप्त नहीं हुआ
60	दो किनारों पर क्रॉस किया हुआ
61	क्रॉसिंग स्टैम्प रद्द नहीं किया गया है
62	क्लियरिंग स्टैम्प रद्द नहीं किया गया है
63	लिखत किसी अन्य बैंक के लिए विशेष रूप से क्रॉस किया गया है
67	प्राप्तकर्ता पृष्ठांकन अनियमित है / इसके लिए संग्रहकर्ता बैंक की पुष्टि आवश्यक है
68	चिह्न / अंगूठे के निशान द्वारा समर्थन मुहर के साथ मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापन की आवश्यकता है
70	एडवाइस प्राप्त नहीं हुई
71	एडवाइस पर राशि / नाम भिन्न है।
72	प्रायोजक बैंक के पास आहर्ता बैंक का फंड अपर्याप्त है (उप- सदस्यों पर लागू)
73	आदाता द्वारा बैंक को अलग से डिस्चार्ज करना आवश्यक है
74	अगले महीने की पहली तारीख तक देय नहीं
75	पे ऑर्डर पर प्रतिहस्ताक्षर आवश्यक है।
76	आवश्यक जानकारी स्पष्ट / सही नहीं है।
80	बैंक का प्रमाण पत्र अस्पष्ट / अधूरा / आवश्यक है।
81	ड्राफ़्ट जारी करने वाले कार्यालय द्वारा खो गया; जारी करने वाले कार्यालय से पुष्टि आवश्यक है।

82	बैंक / शाखा ब्लॉक की गई है
83	डिजिटल प्रमाणपत्र सत्यापन विफल
84	अन्य कारण - कनेक्टिविटी विफलता
87	'प्राप्तकर्ता के खाता में जमा हुआ' - मुहर आवश्यक
92	बैंक शामिल नहीं है

सीमा-पार / विदेशी मुद्रा चेकों के कलेक्शन हेतु दस्तावेज़ीकरण और अनुपालन

ग्राहक की ज़िम्मेदारियाँ:

- सभी लेन-देन के लिए, ग्राहकों को लेन-देन का उद्देश्य बाताना होगा और आवश्यकतानुसार कोई भी सहायक दस्तावेज़ उपलब्ध कराने होंगे।
- व्यक्तिगत प्रेषण के मामले में, शाखाएं प्रेषक और लाभार्थी के बीच संबंध से संबंधित विवरण प्राप्त करने के लिए ज़िम्मेदार होती है।
- इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग ग्रुप (IBG) के ग्राहकों की ओर से प्राप्त चेकों के लिए, शाखाओं को उचित उद्देश्य कोड और संबंधित इनवॉइस की प्रतियां अवश्य एकत्र करनी चाहिए।

ब्रांच की ज़िम्मेदारियां (सेंट्रल ऑपरेशन्स को चेक भेजने से पहले):

- **जमा करने से पहले की जाँचें:** चेक को कलेक्शन के लिए मुंबई सेंट्रल ऑपरेशंस (कैश ऑपरेशंस ।TT) टीम को भेजने से पहले, ब्रांचों को निम्नलिखित को सुनिश्चित करना चाहिए:
    - ग्राहक का खाता 'अपने ग्राहक को जानें' (KYC) के अनुरूप है।
    - कानूनी प्रवर्तन एजेंसी (LEA) के अनुरोधों या अन्य कारणों से खाते पर कोई रोक नहीं है।
    - कलेक्शन शुल्क के भुगतान के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है।
- **स्कैनिंग और ट्रैकिंग:** स्थानीय शाखाओं को सभी विदेशी मुद्रा (FCY) चेक और अनुरोध पत्रों को, कुशल ट्रैकिंग और फॉलो-अप के लिए, लेनदेन सूचना कार्यप्रवाह (TIW) सिस्टम में स्कैन करना होगा।
- **दस्तावेज़ों का रखरखाव:** शाखाओं को ग्राहकों से प्राप्त सभी चेकों और संबंधित दस्तावेजों की पूरी प्रतियां अपने पास रखनी चाहिए, और उन्हें बैंक की फिजिकल डॉक्यूमेंट स्टोरेज पॉलिसी के अनुसार संग्रहित और सुरक्षित रखना चाहिए।

केंद्रीय परिचालन संबंधी जिम्मेदारियां (चेक प्राप्त होने पर):

- **जाँच:** केंद्रीय परिचालन टीम, किसी भी संभावित मैच की पहचान करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉचलिस्ट स्क्रीनिंग सिस्टम (EWSS) के माध्यम से, EWSS स्क्रीनिंग से संबंधित बैंक की नीति का पालन करते हुए, चेक पर लिखे आहर्ता, आहरिती और आदाता के नामों की स्क्रीनिंग करेगी।

- **ट्रू हिट्स:** "ट्रू हिट" (एक पुष्ट मैच) की स्थिति में, कैश ऑपरेशन टीम संबंधित शाखा को सूचित करेगी और चेक वापस कर देगी।

ग्राहक के खातों में जमा (नोस्ट्रो क्रेडिट प्राप्त होने पर):

जैसे ही नोस्ट्रो खाते में क्रेडिट दिखाई देगा, फंड तत्काल ही "क्लियर फंड्स" के आधार पर ग्राहक के खाते में ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें करेंसी के आधार पर अलग-अलग कूलिंग अवधि लागू होंगी:

- **USD:** क्रेडिट हमारे नोस्ट्रो खाते में जमा होने की तारीख से 21 कार्य दिवसों की कूलिंग अवधि के बाद, आपके खाते में जमा कर दिया जाएगा।

- **SGD (सिंगापुर डॉलर):** क्रेडिट हमारे नोस्ट्रो खाते में जमा होने की तारीख के अगले कार्य दिवस को आपके खाते में जमा कर दिया जाएगा।

- **GBP (ग्रेट ब्रिटेन पाउंड):** क्रेडिट हमारे नोस्ट्रो खाते में जमा होने की तारीख के अगले कार्य दिवस को आपके खाते में जमा कर दिया जाएगा।

- **अन्य मुद्राएँ:** क्रेडिट हमारे नोस्ट्रो खाते में जमा होने की तारीख के अगले कार्य दिवस को आपके खाते में जमा कर दिया जाएगा, बशर्ते कि क्रेडिट 'क्लियर फंड' के आधार पर हो।

छुट्टी का समायोजन

- यदि गणना किया गया क्रेडिट दिवस भारत में किसी अवकाश के दिन पड़ता है, तो क्रेडिट अगले कार्य दिवस पर (शनिवार को छोड़कर) प्रोसेस किया जाएगा।

यदि ग्राहक के खाते में क्रेडिट ऊपर बताई गई नियत तारीखों से ज़्यादा देर से होता है, तो मौजूदा घरेलू बचत बैंक ब्याज दर से देरी की अवधि के लिए मुआवज़ा दिया जाएगा। FCY चेक DBS इंडिया के ग्राहकों के क्लियर किए जाते हैं; हालाँकि, एक कलेक्टिंग बैंक के तौर पर, DBS इण्डिया, DBS सिंगापुर द्वारा जारी किए गए SGD ड्राफ़्ट भी क्लियर करता है।

विलंबित कलेक्शन पर ब्याज भुगतान

कंटीन्यूअस क्लियरिंग के तहत, चेक की प्रोसेसिंग और ग्राहकों को भुगतान जारी करने का काम लगातार और रियल-टाइम आधार पर होता है। सकारात्मक/नकारात्मक पुष्टि की जानकारी, आहरित बैंकों द्वारा क्लियरिंग हाउस को प्रोसेसिंग के तुरंत बाद भेज दी जाएगी। प्रस्तुतकर्ता बैंक इसे प्रोसेस करेगा और ग्राहकों को तुरंत, लेकिन सामान्य सुरक्षा उपायों के अधीन, सफल निपटान के अधिकतम 1 घंटे के भीतर, भुगतान जारी कर देगा।

फेज़ 1 के दौरान (4 अक्टूबर से फेज़ 2 लागू होने तक): आहर्ता बैंक के लिए अपने यहाँ प्रस्तुत किए गए चेकों की पुष्टि (सकारात्मक / नकारात्मक), पुष्टि सत्र की समाप्ति तक (अर्थात् सायं 7:00 बजे तक) कर देना अनिवार्य होगा।

चरण 2 में, चेकों की आइटम समाप्ति अवधि T+3 क्लियरिंग ऑवर्स हो जाएगी। उदाहरण के लिए, अदाकर्ता बैंकों को सुबह 10:00 बजे से 11:00 बजे के बीच मिलने वाले चेकों की पुष्टि, सकारात्मक या नकारात्मक, दोपहर 2:00 बजे तक (सुबह 11:00 बजे से 3 घंटे के भीतर) कर दी जाएगी।

DBS बैंक अपने ग्राहकों को, ऊपर बताई गई समय-सीमाओं से अधिक हुई देरी की अवधि के लिए, विलंबित क्रेडिट पर ब्याज का भुगतान करेगा। देरी की अवधि के लिए यह मुआवज़ा, बैंक की मुआवज़ा नीति के दिशानिर्देशों के अनुसार दिया जाएगा, जिसके लिए ग्राहक को किसी भी प्रकार का दावा करने की आवश्यकता नहीं होगी। (प्रस्तावित – चेक के वास्तविक नकदीकरण की तिथि के बाद) इसमें "अन्य बैंकों द्वारा पूर्व संचार और क्लियरिंग एक्सटेंशन का अनुरोध किए गए होने" से संबंधित अपवादों को शामिल करने का प्रस्ताव है।

चेकों का अनादरण / वापसी

यदि वसूली के लिए भेजा गया कोई चेक भुगतान के बिना वापस आ जाता है, तो चेक की राशि तत्काल खाते से डेबिट कर दी जाएगी; इसके अलावा, उस पर लगने वाला लागू शुल्क और ब्याज भी वसूल किया जाएगा। उपर्युक्त व्यवस्थाएँ सभी ग्राहकों के चेक जमाओं पर लागू होंगी। अनादरित लिखत किसी देरी के बिना, और किसी भी स्थिति में 24 घंटे के भीतर, ग्राहक को तुरंत लौटा दिए या भेज दिए जाते हैं। इसके अलावा,

1. अगर कलेक्शन के लिए भेजा गया चेक भुगतान के बिना वापस आ जाता है, तो चेक की राशि तुरंत अकाउंट से डेबिट कर दी जाएगी। बैंक क्लीन एडवांस रेट पर उतने समय के लिए ब्याज लेगा जितने समय तक फंड बैंक के पास नहीं था।
2. यदि चेक से प्राप्त राशि बचत बैंक खाते में जमा थी और उसे निकाला नहीं गया था, तो चेक भुगतान के बिना वापस लौटने पर, इस प्रकार जमा की गई राशि पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
3. यदि चेक/लिखत भुगतान के बिना वापस आ जाता है और यदि उससे प्राप्त राशि किसी ओवरड्राफ़्ट/ऋण/क्रेडिट कार्ड खाते में जमा की गई थी, तो जमा की तारीख से लेकर एंट्री के रिवर्सल की तारीख तक, बैंक के पास जिस सीमा फंड की कमी हुई थी, उस पर ओवरड्राफ़्ट/ऋण पर लागू ब्याज दर से 2% अधिक दर से ब्याज वसूला जाएगा।
4. यदि कलेक्शन के लिए भेजा गया कोई चेक, जिसके लिए बैंक ने क्रेडिट दे दिया है, भुगतान के बिना वापस आ जाता है, तो चेक की राशि तुरंत खाते से डेबिट कर दी जाएगी—भले ही इस डेबिट के कारण खाता डेबिट बैलेंस

में चला जाए—और बकाया राशि को किसी भी अन्य 'क्लीन ओवरड्राफ्ट' की तरह ही माना जाएगा। बैंक उस अवधि के लिए, जिस अवधि तक बैंक के पास धन नहीं रहा है, 'क्लीन एडवांसेज़' दर पर ब्याज लेगा।

5. बैंक, RBI के दिशानिर्देशों का विधिवत पालन करते हुए, समय-समय पर लागू दरों पर “चेक वापसी शुल्क” भी लेगा।

<u>चेक ट्रांज़िट में खो जाना</u>

यदि बैंक द्वारा कलेक्शन के लिए स्वीकार किया गया कोई चेक या लिखत बाद में ट्रांज़िट के दौरान खो जाता है, तो बैंक को इस नुकसान के बारे में पता चलते ही वह तुरंत ग्राहक को सूचित करेगा, ताकि खाताधारक चेक जारी करने वाले (आहर्ता) को 'स्टॉप पेमेंट' दर्ज करने के लिए सूचित कर सके, और सुनिश्चित कर सके कि खोए हुए चेक/लिखत की राशि खाते में जमा न होने के कारण जारी किए गए अन्य चेक अनादरित न हों। बैंक, ग्राहक को चेक जारी कर्ता से डुप्लीकेट लिखत प्राप्त करने में हर संभव सहायता प्रदान करेगा। बैंक क्लियरिंग या कलेक्शन के लिए भेजे गए रिप्लेसमेंट लिखत पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेगा। बैंक, डुप्लीकेट चेक/लिखत प्राप्त करने में ग्राहक को होने वाले किसी भी प्रत्यक्ष और उचित खर्च की भरपाई करेगा (संबंधित दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने पर), और इन्हें प्राप्त करने में हुई उचित देरी के लिए बैंक की क्षतिपूर्ति नीति के अनुसार ब्याज भी देगा।

बैंक को डुप्लीकेट लिखत प्राप्त करने के लिए खाताधारक द्वारा किए गए खर्चों की भरपाई करनी होगी, और इन्हें प्राप्त करने में हुई उचित देरी के लिए ब्याज का भुगतान भी करना होगा।

इसके अलावा, बैंक यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि खोए हुए चेकों/लिखतों की राशि जमा न होने के कारण, उनके द्वारा जारी किए गए अन्य चेक अनादरित (डिसऑनर) न हों। इस प्रकार के नुकसान की ज़िम्मेदारी जमा करने वाले बैंकर पर होती है, खाताधारक पर नहीं।

<u>अप्रत्याशित घटना</u>

अप्रत्याशित घटना का अर्थ है - दैवीय आपदा, बाढ़, सूखा, भूकंप या अन्य प्राकृतिक विपदा या स्थिति, आपदा, महामारी या वैश्विक महामारी, आतंकवादी हमला, युद्ध या दंगे, परमाणु, रासायनिक या जैविक संदूषण, औद्योगिक कार्रवाई, बिजली गुल होना, कंप्यूटर का खराब होना या तोड़फोड़, और इमारतों का गिरना, आग, विस्फोट या दुर्घटना या इस तरह के अन्य कृत्य जो बैंक के उचित नियंत्रण से परे हैं।

बैंक के दायित्वों का निष्पादन तब तक निलंबित रहेगा जब तक कि अप्रत्याशित घटना या परिस्थिति के कारण काम करना असंभव रहेगा। सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर बैंक किसी अप्रत्याशित घटना के परिणामों को न्यूनतम करने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी औद्योगिक कार्रवाई, बिजली गुल होने, कंप्यूटर खराब होने या तोड़फोड़ की स्थिति में, बैंक अपनी सेवाएं प्रदान करने में होने वाली देरी को कम करने के लिए उचित कदम उठाएगा और अपने ग्राहकों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा।

3 शासन

3.1 स्वामित्व और अनुमोदक प्राधिकारी

DBS बैंक इंडिया लिमिटेड (DBIL), DBS बैंक लिमिटेड (DBL) की सम्पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी (WOS) है, जिसका मुख्यालय सिंगापुर में है। DBILबेहतरीन कार्य-प्रणालियां अपनाने के उद्देश्य से, विशेष रूप से, जटिल, लंबी अवधि वाले, बड़े या महत्वपूर्ण लेन-देनों को संभालने में, समूह के न्यूनतम स्वीकृति मानदंडों का पूरी तरह से पालन होना सुनिश्चित करने के लिए, DBL के अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ उठाएगा।

इस पॉलिसी का स्वामित्व जारीकर्ता के पास होगा और यह बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित होगी।

3.2 विचलन

कोई भी विचलन—जिसमें किसी परिशिष्ट (यदि कोई हो) से विचलन भी शामिल है—केवल असाधारण परिस्थियों में ही होगा, और इसे जारीकर्ता द्वारा दस्तावेजों में दर्ज किया जाना तथा बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। कोई भी बदलाव जो मूल प्रकृति के न होकर, केवल आनुषंगिक या प्रशासनिक प्रकृति के हों, उनके लिए अनुमोदन प्राधिकारी के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती। कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए चेक कलेक्शन, सेवा प्रदान करते समय कॉर्पोरेट ग्राहक के साथ तय की गई शर्तों के अनुसार होगा।

3.3 समीक्षा

इस पॉलिसी की निरंतर प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक वर्ष (तीन महीने तक की छूट अवधि के साथ) या इसमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन करना आवश्यक/उपयुक्त होने पर इसकी समीक्षा की जाएगी।

परिशिष्ट 1	विचलन का रिकॉर्ड				
प्रभावी तिथि	**खंड**	**पृष्ठांकन कर्ता एवं पृष्ठांकन तिथि**	**अनुमोदन कर्ता एवं अनुमोदन तिथि**	**विचलन का विवरण**	**विचलन का कारण**
दिन माह वर्ष	इस दस्तावेज़ का वह अनुभाग जहाँ विचलन हुआ है	उस ग्रुप/कंट्री यूनिट/फंक्शन के हेड द्वारा पृष्ठांकन, जिसने विचलन के लिए आवेदन किया था। पृष्ठांकन की तिथि: दिन माह वर्ष	विचलन के लिए दस्तावेज़ स्वामी की स्वीकृति अनुमोदन की तिथि: दिन माह वर्ष	यह अनुभाग पर लागू विचलन का वर्णन करता है।	यह विचलन के कारणों को समझाता है।
-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट 2 पुराने संस्करण		
संस्करण	**जारी करने की तारीख**	**प्रमुख बदलावों का सारांश**
1.0	मई 2019	पहली बार जारी (DBS इण्डिया के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में निगमित किए जाने के बाद)
2.0	फरवरी 2022	पॉलिसी को DBIL की सभी शाखाओं पर लागू करने योग्य बानाने के लिए, शाखाओं की सूची का संदर्भ हटा दिया गया। भाषा को वर्तमान चेक क्लियरिंग व्यवस्था को दर्शाने के लिए अपडेट किया गया, जिसमें अधिकांश बैंक CTS क्लियरिंग में भाग लेते हैं।
3.0	जनवरी 2026	चेक क्लियरिंग के 'ऑन-रियलाइज़ेशन' के हिस्से के रूप में बदलाव